पत्र संख्या– / पी0–2 / 07–23–12–2022 / ..842

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक,

पुलिस उप–महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 02.07.22

विषयः– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों के संविदा नियोजन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आवश्यक सूचना से संबंधित आलेख संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज ही कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि

विश्वासभाजन

2/7/22

पुलिस उप–महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई०टी० प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड के साथ–साथ उक्त सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित कराने संबंधी मामलें में भी अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

—::सूचना::—

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—10000, दिनांक—10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी यथा—**सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक** के प्रोन्नति कोटा के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पुलिस संवर्ग के उक्त कोटि के सेवानिवृत पुलिस पदाधिकारियों से संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है:—

सहायक अवर निरीक्षक :— 3000 पद

पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला
सहायक अवर निरीक्षक	780	210	240	340	300	20	90
	35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद						
	420	90	120	200	180	10	00
कुल	**1200**	**300**	**360**	**540**	**480**	**30**	**90**

पुलिस अवर निरीक्षक :— 3000 पद

पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला
पुलिस अवर निरीक्षक	780	210	240	340	300	20	90
	35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद						
	420	90	120	200	180	10	00
कुल	**1200**	**300**	**360**	**540**	**480**	**30**	**90**

पुलिस निरीक्षक:—250 पद

पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला
पुलिस निरीक्षक	65	18	20	28	25	2	7
	35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद						
	35	07	10	17	15	1	0
कुल	100	25	30	45	40	3	7

2. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/फौजदारी/आपराधिक मामलें में सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहद दंड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 05 वर्षो में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इससे संबंधित शपथ—पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

3. आवेदक इस आशय का घोषणा पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नही हैं।

4. आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः 02 वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्कतानुसार 01–01 वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।

6. नियोजित किये जाने वाले संविदा कर्मी का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में देय होगा।

7. आवदकों के द्वारा आवेदन पत्र अपने जिला/इकाई/कार्यालय (जहाँ से आवदेक सेवानिवृत हुए है।) में समर्पित किया जाना अपेक्षित होगा। संबंधित जिला/इकाई/कार्यालय प्रधान प्राप्त अभ्यावेदनों को समेकित रूप से आवेदकों के विगत 05 वर्षो के चारित्री अभ्युक्ति के साथ–साथ आवेदक के विगत 05 वर्षों की कार्यों की समीक्षा कर अपने अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिनांक–**12.07.2022** तक निश्चित रुप से बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी आवेदन–पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम नियोजन प्राधिकार को होगा। आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अनुलग्नकः–संविदा नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–02/07–23–12–2022/841 दिनांक–02.07.22

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल/इकाई सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्राचार्य (रेल/इकाई सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड के साथ–साथ उक्त सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित कराने संबंधी मामलें में भी अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

६

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का अद्यतन स्व अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नामः–
2. आवेदक का नामः–
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. स्थायी पताः–

5. पत्राचार का पताः–

6. आवेदक की जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः–
8. आरक्षण कोटिः–
9. विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुए हैंः–
10. सेवानिवृति के समय पदनामः–
11. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता की राशिः–

12. सेवानिवृति के समय पेंशन एवं महँगाई भत्ता की राशिः–
    (पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें)
13. मोबाईल संख्याः–
14. आवेदक के विरूद्व लंबित अपराधिक/अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित सूचनाः–
15. सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड दिया गया हो, तो उससे संबंधित सूचनाः–

16. सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड दिया गया हो, तो उससे संबंधित सूचनाः–
17. पिछले 05 वर्षों की गोपनीय चारित्री अभ्युक्तिः–
18. घोषणाः– मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नही हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर
(सेवानिवृति के समय धारित पद सहित)